[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 55/2024 – सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि……… (अ). – सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017 के नियम 3 और 4 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, 20 अक्टूबर, 2023 की सा.का.नि. 792(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 77/2023 – सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अध्याय – 71 में, -

(i) टैरिफ मद 711301 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकडों के लिए "704.1" के लिए "335.50" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) टैरिफ मद 711302 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकडों के लिए "8949" के लिए "4468.10" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(iii) टैरिफ मद 711401 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकडों के लिए "8949" के लिए "4468.10" को अंत:स्थापित किया जाएगा।

[सं. 605/13/2023-(डीबीके)]

(कपिल प्रजापति)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना संख्या 77/2023 – सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 जिसे भारत के राजपत्र असाधारण,भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के सा.का.नि. 792 (अ), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2024 – सीमा शुल्क (गै.टे), दिनांक 30 अप्रैल, 2024 जिसे सा.का.नि. 268(अ) दिनांक 30 अप्रैल,2024 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण,भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।